

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/भूअ./NLRMP/ F-126/2017/

दिनांक:-

जिला कलक्टर,
अजमेर।

विषय :-जमाबन्दी सॉफ्टवेयर में लगान की समस्या के समाधान संबंध में।
प्रसंग :- कार्यालय भू-प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर का पत्रांक 2312 दिनांक
20.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा तहसील ब्यावर, टाटगढ़, मसूदा, विजयनगर, किशनगढ़, रूपनगढ़, तथा अराई के जमाबन्दियों में लगान की दर अंकित नहीं होना के संबंध में मार्गदर्शन चाही गया है। इस संबंध में आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर द्वारा प्रासंगिक पत्र से निर्देशित किया गया है कि ण में मिसल बन्दोबस्त से आधार वर्ष की राजस्व जमाबन्दी तैयार की जाती है। उसी आधार पर चौसाला जमाबन्दियां तैयार होती है। यदि मिसल बन्दोबस्त में लगान की दर प्रति बीघा अंकित नहीं है, तो संबंधित तहसील की रेन्डरेट रिपोर्ट में स्वीकृत लगान दर का अंकन होता है। उक्त प्रकरण के निस्तारण करने हेतु संबंधित तहसील की रेन्डरेट रिपोर्ट से प्राप्त किया जा सकता है।

यदि भू-प्रबंध कार्यालय अजमेर में रेन्डरेट उपलब्ध हो तो संबंधित कार्मिक द्वारा भू-प्रबंध कार्यालय अजमेर से सम्पर्क कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।


भवदीय

4
निबंधक,राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

दिनांक 04.05.18

प्रतिलिपि :क्रमांक: सम/814-16

1. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।
- 2' कलक्टर (भू0अ0), समस्त।
3. भू-प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर को रेन्डरेट की प्रति उपलब्ध करावने हेतु प्रेषित है।


प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर